

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 24 अगस्त, 2011 / 2 भाद्रपद, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 19 अगस्त, 2011

संख्या ई0 डी0 एन0-ए0-ख(15)5/96—I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में पुस्तकाध्यक्ष, (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग—I (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती है, अर्थात्ः—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, पुस्तकाध्यक्ष, (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग—I (राजपत्रित) एवं संविदा भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1—409 / —71—एजु0—ए० तारीख 24 दिसम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित दि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमैंट क्लास—III (टेक्नीकल) सर्विस (रिक्रूटमेन्ट प्रमोशन एण्ड सॅर्टन कॅडिशॅनस ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1971 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये पुस्तकाध्यक्ष, (महाविद्यालय संवर्ग) के पद से सम्बन्धित हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई नियुक्ति या बात इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हसताक्षरित / – प्रधान सचिव (शिक्षा)।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग—I (राजपत्रित) व संविदा के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

- 1. पद का नाम.—पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग)।
- 2. पद (पदों) की संख्या.—65 (पैंसठ)।
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग-I (राजपत्रित)।
- वेतनमान.—(i) नियमित पदाधिकारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड : 15600—39100 जमा
 ₹ 6000 / ग्रेड पे या समय—समय पर यथा पुनरीक्षित ।
 - (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 21600 / —प्रतिमास ।
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं ।
- 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-पैंतालीस वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं.—(i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में स्नातकोत्तर की उपाधि या कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ या यू० जी० सी० सात बिन्दु स्केल में इसके बी के समतुल्य ग्रेड सहित निरन्तर अच्छा शैक्षिक रिकार्ड, पुस्तकालय के कम्पयूटीकरण सहित समतुल्य व्यावसायिक उपाधि होनी चाहिए।
- (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के लिए स्नातकोत्तर की उपाधि में अंकों में पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत तक पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। और शारीरिक और दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को, स्नातकोत्तर स्तर पर, पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में नियुक्ति हेतु अंकों में पांच प्रतिशत की छूट (पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत) प्रदान की जाती है।
- (iii) उन पी०एच०डी० उपाधि धारकों को, जिन्होंने सितम्बर, 1991 से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान की उपाधि उत्तीर्ण की है, अंको में, पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत तक पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
- (iv) जहां कहीं भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, शब्द ग्रेड ओ०ए०सी०डी०ई० और एफ० के साथ सात बिन्दु स्केल में ''बी'' पचपन प्रतिशत अंकों के समतुल्य माना जाएगा। (सात बिन्दु स्केल फुटनोट में दर्शाया गया है)।
- (v) उपरोक्त अर्हताओं को परिपूर्ण करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा यू०जी०सी०, सी०एस०आई०आर० द्वारा संचालित पुस्तकाध्यक्ष के लिए पात्रता परीक्षा (एन०ई०टी० या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकृत समरूप परीक्षा पास की होनी चाहिए।
- (ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं....आयु लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता.....लागू नहीं।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिस का एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
- 10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पद नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्ती द्वारा विनियमित होंगे।
- 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में ग्रेड जिसमें से प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाना है.—लागू नहीं।
 - 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना ?.—लागू नहीं।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, और यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) को प्रारम्भ में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
 - (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) को 21,600 / रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होंगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में 648 / रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।
- (IV) चयन प्रिकेया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन हो तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- (VII) निबन्धन और शर्ते.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 21,600 / रुपए (केवल इक्कीस हजार छह सौ) की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास

संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 648 / — रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की बढ़ौतरी का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई रूप से अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0–एस0 आर0, अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
- **17. विभागीय परीक्षा.**—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

फुट नोट

सात बिन्दु स्केल का स्पष्टीकरण

(केवल नियमित पुस्तकाध्यक्ष को लागू)

ग्रेड	ग्रेड बिन्दु	समतुल्य प्रतिशतता
	5.50.6.00	75—100
''ऐ'' अति उत्तम	4.50-5.49	65-74
''बी'' उत्तम	3.50-4.49	55-64
''सी'' औसत	2.50-3.49	45-54
''डी'' औसत से नीचे	1.50-2.49	35-44
''ई'' खराब	0.50-1.49	25-34
''एफ'' फेल	0.0.40	0—24

उपाबन्ध–''ख''

पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती		पत्र / पत्री श्री	
निवासी ⁷	,संविदा पर नियुक्त	व्यक्ति (जिसे इसमें इर	सके पश्चात् ''प्रथम
पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल			
प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चा	त् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा	। गया है) के माध्यम से अ	ाज तारीख
को किया गया।			

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार ने पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा।

यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्......दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अविध में विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध का विस्तारण / नवीकरण किया जाएगा।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 21600 / प्रतिमास होगी।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है: जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एलoटीoसीo इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष (महाविद्यालय संवर्ग) कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. सविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ इ०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :	
1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति में :	
1	
(नाम व पूरा पता) 2	
नाम व पूरा पता	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EDNA-Kha(15)5/96-I dated 19-08-2011 as required under clause(3)of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th August, 2011

- **No. EDN-A-Kha(15)5/96-I.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Librarian(College Cadre) Class-I (Gazetted),in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this Notification namely:—
- **1. Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Librarian (College Cadre) Class-I (Gazetted) and contract Recruitment and Promotion Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- **2. Repeal & Savings.**—(1) The Himachal Pradesh, Higher Education Department, Class-I (Technical) Service (Recruitment, Promotion and certain conditions of service Rules, 1971 notified vide this department Notification No.1-409/-71-Edu-A dated 24th December, 1973 are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Librarians (College Cadre).
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule-(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order
Sd
Principal Secretary(Education)

ANNEXURE"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Librarian (College Cadre) in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh

- **1. Name of the post.**—Librarian (College Cadre).
- **2.** Number of posts.—65 (Sixty five).
- **3.** Classification.—Class -1(Gazetted).
- **4. Scale of Pay.**—(i) Pay scale of regular incumbents : 15600-39100+AGP 6000 or as revised time to time.
 - (ii) Emoluments for Contract Employees:—Rs. 21600/- per month as per details given in Col. 15-A.

- **5.** Whether selection post or non selection post.—Not applicable.
- **6. Age for direct recruitment.**—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of this adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled caste /Scheduled Tribe/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the H.P. Government;

Provided further that the employees of all the public sector Corporation and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector/Corporations/ autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for Direct Recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and the experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (i) Masters degree in Library Science/Information Science/Documentation or equivalent professional degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale plus a consistently good academic record, computerization of Library.
- (ii) A relaxation of 5% is provided from 55% to 50% marks at the Masters degree for the SC/ST categories.

AND

A relaxation of 5% (from 55% to 50%) of marks, at the master's level to the Physically and visually handicapped persons in appointment as Librarian(College Cadre).

- (iii) A relaxation of 5% is provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders who have passed their Library Science degree prior to September, 1991.
- (iv) "B" in the seven point scale with letter grades O,A,C,D,E, & F shall be regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed (7 point scale is displayed in the footnote).

(v) Candidates besides fulfilling the above qualifications should have cleared theeligibility test (NET) for Librarians conducted by the UGC,CSIR or similar test accredited the State Public Service Commission.

Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

- **9. Period of probation, if any.**—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of Posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
- 11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition?.—Not applicable.
- 13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- 14. Essential requirement for a direct recruitment/Contract Appointment.—A candidate for appointment to this post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post, in the case of direct recruitment, (Regular) shall be made on the basis of viva-voce test of H.P.P.S.C. or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc., of which will be determined by the HPPSC.
- **15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.**—Notwithstanding anything in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Librarian (College Cadre) in Department of Higher Education H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

- (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary (Higher Education) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H. P. Public Service Commission.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
- (II) CONTRATUAL EMOLUMENTS.—The Librarian (College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 21600 P.M. (Twenty one thousand six hundred only) (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 648/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Higher Education) to the Govt. of Himachal Pradesh will be appointing authority and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.
- (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i. e. the HPPSC from time to time.
- **(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
- (VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 21600 P.M. (Twenty one thousand six hundred only) (Which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 648 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the Post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years to ensure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

- Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a (f) Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Caste/Schedule Tribes/ Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.
- **17. Departmental Examination.**—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.
- Power to relax.—Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public service commission to relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or person of post.

Explanation of Seven point Scale (Applicable to Regular Librarian only)

Footnote

Grade	Grade point	Percentage equivalent
"O" Outstanding	5.50.6.00	75-100
"A" Very Good	4.50.5.49	65-74
"B" Good	3.50.4.49	55-64
"C" Average	2.50.3.49	45-54
"D" Below Average	1.50.2.49	35-44
"E" Poor	0.50.1.49	25-34
"F" Fail	0.0.40	0-24

			ANNEXURE "B"	
post) and	orm of contract/agreement to be executed bet I the Government of Himachal Pradesh through ng Authority).		•	
Tl	nis agreement is made on this Between Sh./Smt	_day of S/o/D/o Shri		
R/o		Contract appoir	ntee (hereinafter called	
	T PARTY), AND The Governor of Himachal ion of the Appointing Authority) Himachal Prad-	_		
PARY)				

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Librarian (College Cadre) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as
Librarian (College Cadre) for a period of 1 year commencing on day ofa
ending on the day ofIt is specifically mentioned and agreed upon by both the
parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto star
terminated on the last working day i. e. on And information notice shall not
necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.21,600/- per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
- 4. Contractual Librarian (College Cadre) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the Librarian (College Cadre). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- 5. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS, the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:	
1	
(Name and Full Address) 2	(Signature of FIRST PARTY)
(Name and Full Address)	
IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
1	
(Name and Full Address)	(Signature of SECOND PARTY)
2	
(Name and Full Address)	

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 23rd August, 2011

No. EDN-A-(D)1-192/09.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Mr. Laxman Prasad, Lecturer in English (on Contract basis), presently posted at Government College Chowari (Distt. Chamba) *w.e.f.* 29-6-2011 subject to the condition that all the outstanding amount recoverable from him will be deducted from the dues payable to him, if any.

By order, Sd/-Pr. Secretary (Hr. Education).